संख्या-2/2016/071/18-2-2016-51(एस0पी0)/2010

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।

3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग
उत्तर प्रदेश कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 28 जनवरी, 2016

विषय- मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत शासकीय सामग्री के क्रय में प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को क्रय वरीयता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0, कानपुर के पत्र संख्या-153/एस0पी0एस0-7/एफ0/2015-16, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दशा में सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों के महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुए प्रादेशिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शासकीय क्रय में मूल्य वरीयता तथा क्रय वरीयता की नीति शासनादेश संख्या-706/18-5-2003-9(एसपी)/95, दिनांक 11-6-2003 द्वारा परिचालित की गयी थी जिसकी अवधि दिनांक 31-3-2006 तक निर्धारित थी, जो समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है। अन्तिम बार शासनादेश संख्या-950/18-5-2009-9(एसपी), दिनांक25-8-2009 द्वारा अवधि दिनांक 31-3-2012 तक बढ़ायी गयी थी।

2- भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित एम0एस0एम0ई0डी0एक्ट, 2006, (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006) की धारा-11 में किये गये प्राविधान तथा उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रय नीति-2014, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कम्पटीशन कमीशन आफॅ इंडिया), केन्द्रीय सर्तकता आयोग(सी0वी0सी0) द्वारा प्रतिपादित दिशा निर्देशों तथा वर्तमान विपणन एवं आर्थिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में प्रचलित क्रय वरीयता नीति के स्थान पर नयी क्रय वरीयता की नीति लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत शासकीय सामग्री के क्रय में सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों हेतु संशोधित क्रय वरीयता नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

(1) मात्रा अनुबन्ध के मामलो में आमंत्रित किये जाने वाले टेण्डर एवं कोटेशन में दरो की तुलना करते समय प्रदेशीय सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा दी गयी दरों से उत्तर प्रदेश के मूल्य संबर्द्धित कर (वैट) को हटाकर तथा प्रदेश के बाहर की समस्त इकाईयों द्वारा दी गयी दरो में समस्त कर (यथा अन्य राज्यों द्वारा लगाये गये कर, केन्द्रीय बिक्रीकर आदि) व प्रदेश की मध्यम एवं बृहद इकाईयों द्वारा दी गयी दरों में समस्त कर (यथा उत्तर प्रदेश के मूल्य संबर्द्धित कर आदि) जोड़ते हुए दरों की तुलना की जायेगी। उक्तानुसार दरों की तुलना करने के पश्चात न्यूनतम दर (एल-1,एल-2 आदि) का निर्धारण किया जायेगा।

(2) इस प्रकार एल-1, एल-2 आदि निर्धारित करने के उपरान्त क्रय आदेश जारी करते समय मूल्य का निर्धारण चयनित आपूर्तिकर्ता हेतु समस्त लागू टैक्स जोड़कर ही किया जायेगा।

(3) मात्रा अनुबन्ध के मामलों में क्रयादेश देते समय आवश्यकतानुसार, टेण्डर में उल्लिखित मात्रा से 15 प्रतिशत से अनधिक आपूर्ति लेने वाली मात्रा घटायी या बढ़ायी जा सकती है।

(4) क्रय वरीयता की यह व्यवस्था दिनांक 31 मार्च, 2018 तक लागू रहेगी।

(5) क्रय वरीयता की उक्त व्यवस्था का पालन करते समय टेण्डर इत्यादि के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों एवं

अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) दरों की तुलना की यह व्यवस्था राज्य सरकार तथा उसके अधीनस्थ सभी कार्यालयों एवं राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं (उत्तर प्रदेश राज्य के निगमों को छोड़कर) पर लागू होगी। राजकीय निगमों को यह स्वतंत्रता होगी कि वह इस व्यवस्था को आवश्कतानुसार अंगीकृत कर सकते हैं।

(7) मात्रा तथा दर अनुबन्ध के मामलों में क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियां एवं गुणवत्ता के मानक स्पष्ट रूप से टेण्डर एवं कोटेशन में अंकित किये जायेंगे। टेण्डर एवं कोटेशन में विशिष्टियों तथा गुणवत्ता के मानक स्पष्ट रूप से अंकित करने का दायित्व निविदाकर्ता अधिकारी का होगा।

(8) उक्त समस्त शर्तो का समावेश निविदा प्रपत्र में अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा इसको सुनिश्चित करने का दायित्व भी निविदाकर्ता अधिकारी का होगा।

भवदीय,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव

संख्या-2/2016/071/18-2-2016-51(एस0पी0)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट- प्रथम /द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों

व प्राधिकरणों को शासनादेश अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करें।

7- अध्यक्ष, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

8- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार

विशेष सचिव।